न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्याः—298 / 2022 दायर दिनांकः—13.12.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 748

बुदिया पत्नि गोपी जाति जाटव निवासी बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0।

———सायल

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र परमोली
2. नाहरसिंह पुत्र धर्मसिंह
3. सुमनदेवी पत्नि विक्रम
4. विशाल पुत्र विक्रम
5. पिंकु पुत्र विजयसिंह

जाति जाट निवासी बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

——गैरसायालन—05

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री कमेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता सायल
2. गैरसायलान 1 ता 5 एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांक** 11-10-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख. न0 478 रकबा 0.13 है0, 479 रकबा 0.06 है0, 480 रकबा 0.15 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 है0 बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी में स्थित है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में सायला बहिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है सायला आराजीयात में बाहमी बटवारे में खसरा नम्बरान के 480 रकबा 0.15 है0 पर काबिज है सायला उपयोग उपभोग कर रही है। शेष हिस्से पर अन्रू सहखातेदारान अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज एवं दखील है। सायला के हिस्से की आराजी को उसका पुत्र कैलाश उक्त करता है।

आराजी 480 रकबा 0.15 है0 सायला व अन्य सह खातेदान के अलावा गैरसायलानया अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है गैरसायलान लठैत मुठमर्द गिरोह बंद व्यक्ति है जो येन केन प्रकारेन सायला को हैरान परेशान कर उसकी आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है।

सायला की आराजी खसरा 481 [illegible] 481 में होकर रास्ता निकल रहा है गैरसायलान उक्त रास्ते के बाद सायला [illegible] खसरा न0 480 पर [illegible] करने पर आमदा है। सायला की आराजी में जबरदस्ती कब्जा [illegible] उसमें निर्माण करने पर [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

बाका दिनांक 10.12.2022 का सुबह करीब 9 बजे का है। कि गैरसायलान अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर आ गये तथा सायला की आराजी खसरा न0 480 में ट्रोली से खण्डा डालने लगे, सायला के पुत्र कैलाश के द्वारा पुछने पर कहने लगे कि हम यहा निर्माण करेंगे,

सायला के पुत्र कैलाश के यह कहने पर कि उक्त आराजी मेरी मां की है। उक्त आराजी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो उन्होने एलानिया कहा कि हम तो इसमे निर्माण करके रहेगे तथा तुमको बेदखल कर आराजी पर कब्जा करके रहेगें तथा पत्थर डालकर कब्जा करके रहेंगे। इस पर वादी द्वारा गैरसायालान को अन्य लोगों से भी समझवाने का प्रयास किया लेकिन वे किसी की भी राय मानने को तैयार नहीं है तथा अपनी हठधर्मी पर कायम है इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैर कानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अग्र से पाबन्द फरमाया जावे कि सायला के कब्जे काश्त आराजी ख0न0 480 रकबा 0.15 है0 ग्राम बनवारीपुर तहसील महावीरजी में सायला की आराजी पर कब्जा नहीं करे, आराजी को नाकाबिल काश्त नहीं बनावे, आराजी में कोई निर्माण नहीं करे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायला पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 5 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 10.10.2023 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 89 वाके ग्राम बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी ऑनलाइन नक्शा ट्रैस पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में एकपक्षीय सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 89 खसरा नं0 478, 479, 480 वाके ग्राम बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 13.12.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा न0 480 वाके ग्राम बनवारीपुर की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति ताफैसला दावा तक [illegible]

आदेश आज दिनांक [illegible] खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन